

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 1(1)(91) निमअ/स्था/संविदा/2013/8133-65 जयपुर, दिनांक : 22-5-2020

उप निदेशक/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता
समस्त।

विषय :- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 08.02.2018के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके जिले में अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कार्मिकों के रिक्त पदों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्ति की जा सकती हैं।

अतः आपके अधीन उक्त संवर्ग में रिक्त कार्मिकों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुर्ननियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिए की जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। जिन कार्मिकों को 02 वर्ष पूर्ण हो चुके हो उनके पूर्ण प्रस्ताव कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें।


(पी.सी. पवन)
निदेशक

महिला अधिकारिता

क्रमांक : एफ 1(1)(91) निमअ/स्था/संविदा/2013/8166-69 जयपुर, दिनांक : 22-5-2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखाकार (बजट), महिला अधिकारिता, मुख्यालय को बजट की कार्यवाही हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


निदेशक
महिला अधिकारिता